dence have been clearly allocated to the judicial magistrates, leaving the executive magistrates with only administrative functions like issue of fire arms, licensing of arms etc. (3) The administrative control over judicial magistrates has been vested in the High Courts concerned. (4) The power of taking cognizance of offences under the Criminal Procedure Code has been vested in judicial magistrates. In these 5 States all these criteria are fulfilled. When I say that in other States it has been partially implemented it means that these conditions are not fulfilled fully.

श्री सरजू पाण्डेय : जिन प्रान्तीय सरकारों ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया है क्या उन्होंने अपनी कोई कठिनाइयां सैंटर के पास भेजी हैं यदि हां तो कौन कौन सी बाधायें हैं जो उन्होंने बताया है कि उनके रास्ते में हैं ?

श्री हाथी : कोई खास रीजन्ज नहीं दिये हैं । लेकिन जो है वह कहा है ।

Shri Buta Singh: I want to know from the Minister how far the impression prevailing in the country is correct that the party in power is dilly-dallying in this matter to keep its position intact?

Shri Hathi: This has nothing to do with the party at all.

"The Crisis of India"

\+

*569. **Shri Bagri:**
Shri Bhanu Prakash Singh:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 787 on the 22nd September, 1965 regarding the book entitled "The Crisis of India" and state:

(a) whether this book has been banned in India;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) when it is likely to be banned?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Future import into India of copies of the book has been prohibited under the Customs Act, 1962.

(b) and (c). Do not arise.

श्री बागड़ी : इस किताब को जो कस्टम्ज की धारा के अधीन जब्त करने की बात थी क्या इस के बारे में न्यायालय से कोई फैसला लिया गया था ? यदि लिया गया था तो मैं जानना चाहता हूं कि इस में कौन कौन सी आपत्तिजनक बातें थीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : आपत्तिजनक इसमें बहुत सी बातें थीं । माननीय सदस्य ने इस किताब को देखा होगा । इसमें शिवाजी के बारे में, हमारे देश के नेताओं के बारे में, गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल जी के बारे में और हमारे राष्ट्र के बारे में कई आपत्तिजनक बातें थीं । इसलिए आग से इस किताब का आना बन्द कर दिया गया है । हम लोगों ने इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से राय ली थी और उन्होंने कहा कि इसको प्रोसक्राइब नहीं किया जा सकता है लेकिन इस का आना बन्द हो जाए तो यह अच्छा है ।

श्री बागड़ी : ऐसी किताबों के लेखक जो हमारे देश के रहनुमाओं के विरुद्ध ऐसी बातें लिखते हैं, उनकी इतने दिनों तक किताबें यहां प्रचलित रही हैं लेकिन जो उनको छापने वाले हैं या खरीद कर के बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : वह तो नहीं है । इसको हमने प्रोसक्राइब नहीं किया है ।

यह बाहर की किताब है। शायद अब तक बिक भी गई है। बहुत सी इस पर आपत्तियां हुई हैं। लेकिन इसका आगे से आना हमने बन्द किया है।

श्री मधु लिमये : विदेशों से जो साहित्य आता है क्या सरकार उसमें इस बात का ख्याल रखती है कि अखबार आदि चीजें जिनमें जहरीला प्रचार होता है और किताबें जिन का विचारों से सम्बन्ध है, इन दोनों में फर्क किया जाए। अगर ऐसा फर्क किया जाता है तो कितनी भी कटु आलोचना क्यों न हो ऐसी पुस्तकों का आयात बन्द नहीं किया जाना चाहिये ताकि लोगों को खाद्य मिले दिमाग के लिए और विचार करने के लिए, तो क्या यह नीति सरकार की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सत्य बात है और इस में मैं बहुत दूर तक माननीय सदस्य से सहमत हूं। लोगों को जब विचार की स्वतंत्रता है तो उनकी वह चीज जहां तक हो सके लोगों के सामने आए। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। इस लिहाज से देखा गया है कि देश में इसके बारे में प्रतिक्रिया बहुत बुरी हुई है और खास करके जिस प्रान्त से वह आते हैं वहां की जनता की प्रतिक्रिया बहुत खराब हुई है . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह तो बिहार के हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : वहां से चुन कर आए हैं, रहते महाराष्ट्र में हैं।

हम समझते हैं इसका रोका जाना ठीक था

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाए। मैं ने सिद्धान्त की एक बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि सिद्धान्त की जहां तक बात है, वह आप से इत्तिफाक करते हैं।

श्री मधु लिमये : बहुत सारी चीजें हैं जो आने देनी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का मैं क्या जवाब दिलाऊं ?

श्री मधु लिमये : पेकिंग रिव्यू है, वह नहीं आता है। इसकी हमें जरूरत है चीन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए।

Shrimati Ramdulari Sinha: May I know the name of the writer of this book?

श्री ल० ना० मिश्र : श्री रोनाल्ड सैगल।

श्री अ० प्र० शर्मा : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि विधि मंत्रालय की राय ली गई थी और राय लेकर ही इस पुस्तक का यहां पर आना बन्द किया गया है। इसके माने यह हैं कि इस पुस्तक का यहां आना ठीक नहीं है या सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। यह समझते हुए कि यह किताब सर्क्युलेशन में है और आगे विष फैलाने का काम न करे, बुरे ख्याल फैलाने का काम न करे, सरकार ने इसको बैन क्यों नहीं किया और क्या अब भी वह ऐसा करने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोसकाइब करने का फैसला नहीं किया है तो फिर वह किस तरह से हो सकता है ? एक फैसला अगर गवर्नमेंट करती है तो उसका फैसला बदलने के लिए . . . . .

श्री अ० प्र० शर्मा : अगर इस नतीजे पर गवर्नमेंट पहुंची है कि इसका पढ़ना ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप शर्मा साहब देखें कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रोसकाइब नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो आ चुकी हैं उन पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जाएगी और खास कर जैसे उन्होंने कहा वे मिलती रहेंगी। लेकिन और नहीं मंगाने देंगे। और इसका मैं क्या जवाब दिलाऊं ?

Shri Kapur Singh: Are Government aware that book-burnisg or book-banning is thoroughly repugnant to the modern ethical taste; if so, do they propose to retreat the step they have already taken in this matter?

Shri L. N. Mishra: No, Sir; there is no question of retreating. I think, we have taken the right action in this matter.

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस पुस्तक की अभी तक भारत में कितनी प्रतियां आई हैं और कितनी आपने जब्त की हैं ? इस पुस्तक के अन्दर शिवाजी को जो डाकू बताया है उसके अलावा हमारे देश के महान नेताओं के बारे में इसमें क्या-क्या बुरी बातें लिखी हुई हैं, क्या कुछ कहा गया है यहां के बारे में ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस किताब को हमने जब्त नहीं किया है प्रोसक्राइब नहीं किया है। इसका आना बन्द किया है। इस किताब को हम जब्त नहीं करना चाहते हैं। विधि मंत्रालय की इसके बारे में राय ली गई थी और उसने कहा कि इसको रहने दिया जाए और आगे इसका आना रोक दिया जाए । जैसा उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वह सब हो। इस लिहाज से बन्द तो नहीं करना चाहते हैं, जब्त तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन इसका आगे आना बन्द हम करना चाहते थे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कौन कौन सी आपत्तिजनक बातें इसमें थीं ? किन-किन व्यक्तियों के बारे में क्या-क्या बातें थीं ?

अध्यक्ष महोदय : जिस को वह आने नहीं देना चाहते हैं उसके बारे में क्या मैं उन से यह कहूं कि शुरू से बताना शुरू कर दें कि कौन-कौन सी बातें थीं ताकि हम सब को उन का पता चल जाए ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या-क्या लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि बदेशों से जो साहित्य आता है उस को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेने के का कोई प्रबन्ध क्या राज्य की तरफ से है। यदि है तो ऐसा साहित्य क्यों आ जाता है जिसको बाद में जब्त करना पड़ता है, और यदि नहीं है तो क्या ऐसा कोई विभाग बनाने का विचार है ताकि ऐसा विषैला साहित्य आ ही न पाये ।

श्री ल० ना० मिश्र : इस के लिए प्रबन्ध है । फाइनेन्स मिनिस्ट्री के कस्टम्स डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग आर्डर है जिसके अनुसार इन चीजों को देखा जाता है। उस के मुताबिक उन्होंने इस को देखा और पाया कि इस के आने में कोई आपत्ति नहीं है। बाद में ऐसा विचार हुआ, जैसा कि मैं अब भी कहता हूं, कि उस की बिक्री को रोकना चाहिए । इस लिये किताब जो आई उस में कोई गलती नहीं हुई लेकिन लोगों में चूंकि इस के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई इसलिये उसका आगे आना बन्द कर दिया गया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या जो इस पुस्तक के लेखक हैं वह अफ्रीका में जो योरोपीय और गैर-योरोपीय लोगों का झगड़ा चल रहा है उस में गैर-योरोपीय यानी रंगीन जातियों का साथ दे चुके हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे उनकी इतनी पृष्ठभूमि मालूम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत अच्छे लेखक रहे ह ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह क्या जवाब दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन को इस का इल्म नहीं है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आया उन्होंने रंगीन लोगों का साथ दिया ।

An hon. Member: Has the Minister read it?

Mr. Speaker: There is a supplementary coming as to whether the Minister has read this book.

Shri L. N. Mishra: I have read a part of it and not the whole of it. (*Interruption*).

Mr. Speaker: The Members are very inquisitive to know whether he has got it and whether he can lend that book to them.

श्री ल० ना० मिश्र : मंत्रालय में यह किताब हमारे पास है और अगर जरूरत हो तो मैं उसे दे सकता हूं ।

श्री काशी राम गुप्त : मंत्री महोदय ने बतलाया कि विधि मंत्रालय के सुझाव के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक को प्रोस्क्राइब नहीं किया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकारी पुस्तकालयों में इस पुस्तक को रखने की इजाजत दी है ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह साधारण बात है कि इसको जब्त नहीं किया गया है । उसको रखना गैर-कानूनी बात नहीं है । इसको आप कहीं भी रख सकते हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी पुस्तकालयों में वह पुस्तक रखी गई है या नहीं । इस का मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं कहता हूं कि कहीं भी यह किताब रह सकती है । सरकारी पुस्तकालयों में भी रखी जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने इस किताब को सरकारी पुस्तकालयों में रखने के लिये कोई हुक्म दिया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं, मेरा ख्याल है कि हम ने किसी को आदेश नहीं दिया कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिये कोई प्रोत्साहन दिया जाये ।

श्रीमती जयाबेन शाह : मैं जानना चाहती हूं कि इस किताब के बारे में गवर्नमेंट की अपनी क्या राय है । क्या वह किताब को बैन करने लायक समझते हैं या नहीं या सिर्फ विधि मंत्रालय की सूचना के अनुसार चल रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम ने जांच करवाई थी और इस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि सही नहीं हैं । फिर भी जो कानून है उस के अन्तर्गत कोई चीज नहीं आती है । उसे हम प्रोसक्राइब नहीं कर सकते । हम इतना ही कर सकते हैं कि लोग उसे पढ़े नहीं और इसके लिये उन्हें कोई उत्साह न मिले ।

Shri Hari Vishnu Kamath: May I request that question No. 591 may also be taken up along with question No. 570?

Mr. Speaker: If it is convenient, the Minister might answer both.

मद्य-निषेध

\+

*570. **श्री अगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मुखिया :
श्री प्र० चं० बख्शी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्य-निषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर अभी तक किन-किन राज्यों की राय प्राप्त नहीं हुई है ;